

सं. 8/3/6/2017-हिं.

भारत सरकार

अंतरिक्ष विभाग

\*\*\*\*\*

अंतरिक्ष भवन,

न्यू बी.ई.एन. रोड,

बैंगलूरु-560 094

दिनांक: 08 अगस्त, 2017

विषय: अं.वि./ इसरो में लागू प्रोत्साहन योजना की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने के बारे में।

\*\*\*\*\*

जैसा कि विदित है कि अं.वि./ इसरो में 3 सितंबर, 2015 को दौरे पर आई संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति की अनुशंसा के आधार पर विभाग में 'सोलिस' (अंतरिक्ष राजभाषा कार्यान्वयन योजना) की शुरुआत की गई, जिसमें माननीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार सर्वोत्तम हिंदी कार्य करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी को ₹11000/- का विशेष पुरस्कार प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। उक्त पुरस्कार को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कारों में बाँटा गया तथा क्रमशः ₹6500/- एवं ₹4500/- की विशेष पुरस्कार राशि विजेताओं को प्रदान की जाती है। परंतु, दिनांक 19 सितंबर, 2016 के राजभाषा विभाग के का.जा.सं. 12013/01/2011-रा.भा. (नीति) (पर्यी 'क') के अनुसार, प्रचलित प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई, जिस कारण विभाग की सोलिस के तहत द्वितीय विशेष पुरस्कार की राशि राजभाषा विभाग द्वारा संशोधित प्रोत्साहन राशि से कम हो गई। इस पर 05 जुलाई, 2017 को संयुक्त सचिव, अं.वि. की अध्यक्षता में आयोजित अंतरिक्ष विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 156वीं आमने-सामने की बैठक में चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि इस राशि को बढ़ाया जाए।

अतः यह सूचित किया जाता है कि विभाग की सोलिस के अंतर्गत द्वितीय विशेष पुरस्कार राशि में 1000 रुपए की बढ़ोत्तरी कर इसे रु 4500 से रु 5500 किया जाता है। इस प्रकार प्रथम विशेष पुरस्कार रु 6500 एवं द्वितीय विशेष पुरस्कार रु 5500 होगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है तथा यह तत्काल प्रभावी होगा।

सादर,

भवदीय,

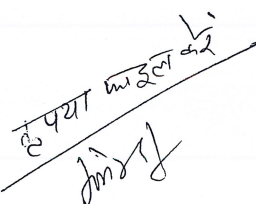
  
(सरला)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सेवा में/To

सभी केंद्र/यूनिट के व./हिंदी अधिकारी/ व. प्रशा./प्रशा. अधिकारी - आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि सूचनार्थ/CFI: संयुक्त सचिव, अं.वि.

  
हृष्या कडल